मि. सं. 2(1)/2019-स्थापना-105

भारत सरकार

विस्तार निदेशालय

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि विस्तार भवन,
पूसा, नई दिल्ली-110012

दिनांकः 8 फरवरी, 2019

रिक्ति परिपत्र

विषयः विस्तार निदेशालय में वेतन बैंड 15600-39100 रुपये + 5400 (ग्रेड वेतन) (पूर्व संशोधित) तदनुरुप सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स 56,100 से 1,77,500 रुपये के स्तर 10 में सहायक निदेशक (राजभाषा) के प्रत्याशित एक पद को संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति+पदोन्नति) आधार पर भरा जाना।

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग नई दिल्ली में वेतन बैंड 15,600-39100 रुपये + 5400 (ग्रेड वेतन) पूर्व संशोधित तदनुरुप सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स 56,100 से 1,77,500 रुपये के स्तर 10 में सहायक निदेशक (राजभाषा), जीसीएस, समूह 'क' (राजपत्रित) (अननुसचिवीय) के प्रत्याशित एक पद को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ/राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों में से संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति+प्रोन्नति) के माध्यम से भरा जाना है।

प्रतिनियुक्ति + प्रोन्नति

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी

(i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण करते हों; या

(ii) जिन्होने वेतन बैंड-2 (9300-34,800)+4600 रुपये के ग्रेड वेतन अथवा समतुल्य में मूल कार्यालय या विभाग में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा की हो; और

(iii) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों

आवश्यक

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम के रूप में, के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम के रूप में, के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, हिंदी माध्यम में और अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम के रूप में, के साथ हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अंग्रेजी माध्यम में और हिंदी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम के रूप में, के साथ हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न विषय में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, हिंदी और अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम और दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में, के साथ हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न विषय में मास्टर डिग्री; और

(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या निजी क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थाओं में अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद के कार्य और हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली (पारिभाषिक कार्य) का उपयोग या प्रयोग करने का तीन वर्षों का अनुभव हो।

या

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थाओं के अधीन हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान में तीन वर्षों का शिक्षण अनुभव हो।

वांछनीय

संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हिंदी के अतिरिक्त किसी एक भाषा का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर पर अध्ययन किया हो।

टिप्पण-1:- ऐसे विभागीय ज्येष्ठ अनुवादक, जिन्होंने 4600/- रुपये ग्रेड वेतन सहित 9300-34,800 रुपये के वेतन बैंड-2 में तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो, पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और उनके नियुक्ति के लिए चयनित किए जाने की दशा में, पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

टिप्पण-2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

2. चयनित अधिकारी को, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसरण में अपने ग्रेड वेतन के साथ-साथ प्रतिनियुक्ति भत्ता लेने अथवा सामान्य नियमों के तहत् पद से संबद्ध वेतनमान में अपना वेतन नियत करवाने का विकल्प होगा।

3. उपयुक्त एवं इच्छुक अधिकारी, जिन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है, का आवेदन-पत्र, उनकी सेवा के विस्तृत ब्यौरे तथा प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा पिछले पांच वर्षों की गोपनीय रिपोर्ट की अनुप्रमाणित फोटो प्रतियां व सतर्कता अनापत्ति और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र के साथ, इस पत्र के जारी होने के 60 दिनों के भीतर, कृपया अधोहस्ताक्षरी के नाम से भेजें ।

4. अभ्यर्थी का चयन होने की स्थिति में उन्हें अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए, केवल उन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र ही अग्रेषित किए जाएं, जिनका चयन किये जाने पर कार्यमुक्त किया जा सकता है। अपूर्ण आवेदन पत्रों अथवा बगैर गोपनीय रिपोर्टों की अनुप्रमाणित फोटो प्रतियों, और सतर्कता एवं सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र के प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को प्रथम दृष्टया अस्वीकृत किया जा सकता है।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे कृपया इन रिक्तियों से सम्बन्धित परिपत्र को अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों आदि में व्यापक रूप से प्रचारित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(वाई.पी. भट्ट)
उप निदेशक (प्रशासन)

<u>वितरण:</u>

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. कृषि एवं सहकारिता विभाग के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।
3. सूचना पट्ट।
4. गार्ड फाइल।